

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील नं. 1722/2014.....जिला.....जयपुर.....

उपरोक्त - मै0 गोयल मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल, शाहजहांपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल ज़ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
31.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री आशा कुमारी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर के अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी के द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	

Sharma
DA

31.3.15
(आशा कुमारी)
सदस्य